उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, प्रधान कार्यालय–लखनऊ।

परिपत्र सं0–सी–125/तक0प्रकोष्ठ/2016–17 दिनांक– 25-03-2017

समस्त शाखा प्रबन्धक,
उ0प्र0सह0ग्राम विकास बैंक लि0,
उत्तर प्रदेश।

विषयः– शासन द्वारा कृषि उपकरण एवं वर्मी कम्पोरट उत्पादित अनुदानित योजनाओं के सम्बन्ध में।

कृपया प्रधान कार्यालय के परिपत्र सं0–सी–31/तक0अनु0/2014–15 दिनांक–21.07.2014 एवं परिपत्र सं0–सी–32/तक0अनु0/2014–15 दिनांक–21.07.2014 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा आपको निर्देशित करते हुए अपेक्षा की गयी है कि आप बैंक व्यवसाय के विविधीकरण हेतु औद्यानिक विभाग से समन्वय स्थापित कर उ0प्र0 सरकार द्वारा संचालित योजनाओं में सरकार द्वारा किसानों को दी जा रही सहायता का अधिक से अधिक लाभ बैंक के लाभार्थी सदस्यों को पहुँचाने का प्रयास करें परन्तु उक्त योजनाओं में आप द्वारा अद्यतन कोई भी प्रगति स्थापित नहीं की गयी है।

उक्त के कम में शासन द्वारा कृषकों के लिए कृषि उपकरणों/वर्मी कम्पोस्ट उत्पादन हेतु भी अनुदानित योजनायें चलायी जा रही हैं, जिसके लिए जनपद के उ0स0कृ0प0अधि0/उ0कृ0 निदेशक से सम्पर्क कर योजनाओं के विषय में सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त करते हुए ऋण वितरण की अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित करें, ताकि बैंक के ऋण वितरण को और गतिशील बनाया जा सके। योजनाओं से सम्बन्धित शासन द्वारा दिया जाने वाला अनुदान संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्नकः– उपरोक्तानुसार।

25.03.17

(श्रीकान्त गोस्वामी)
प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपि– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. समस्त जनपदीय प्रबन्धकों को इस निर्देश के साथ कि इस परिपत्र की प्रति अपने जनपद की समस्त शाखा प्रबन्धकों को तत्काल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
2. उप महाप्रबन्धक(आई0टी0सेल),उ0प्र0सह0ग्राम विकास बैंक लि0, प्रधान कार्यालय लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि इस परिपत्र को बैंक की समस्त जनपदीय शाखाओं एवं प्रधान कार्यालय के समस्त अधिकारियों को ई–मेल द्वारा प्रेषित कराना सुनिश्चित करें।

(अजयपाल सिंह)
महाप्रबनधक(तक0)

Bank information → Sending mail → S.K. Tiwari → cor- Govt. Subsidy Scheme 24.3.17

शासन द्वारा कृषकों के लिए चलायी जा रही अनुदानित योजनायें				
कृषि उपकरण				
	ट्रेक्टर (40 H.P. तक)	निर्धारित मूल्य का 25 प्रतिशत अथवा अधिकतम रू0 45000 जो भी कम हो।	चयनित जनपद के कृषक	उ.स.कृ.प.अधि./उ. कृ. निदेशक
	पावर टिलर (8 H.P. या उससे अधिक)	निर्धारित मूल्य का 40 प्रतिशत अथवा अधिकतम रू0 45000 जो भी कम हो।	चयनित जनपद के कृषक लाभार्थी	उ.स.कृ.प.अधि./उ. कृ. निदेशक
	पम्पसेट (7.5 H.P. तक)	निर्धारित मूल्य का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम रू0 10000 जो भी कम हो।	चयनित जनपद के कृषक लाभार्थी	उ.स.कृ.प.अधि./उ. कृ. निदेशक
	जीरोटिल सीड ड्रिल, सुगर केन कटर प्लांटर, रीपर, बाइंडर	निर्धारित मूल्य का 40 प्रतिशत अथवा अधिकतम रू0 20000 जो भी कम हो।	चयनित जनपद के कृषक लाभार्थी	उ.स.कृ.प.अधि./उ. कृ. निदेशक
	पावर थ्रेशर	निर्धारित मूल्य का 25 प्रतिशत अथवा अधिकतम रू0 12000 जो भी कम हो।	चयनित जनपद के कृषक लाभार्थी	उ.स.कृ.प.अधि./उ. कृ. निदेशक
	विनोइंग फैन, चेफ कटर(मानवचालित)	निर्धारित मूल्य का 25 प्रतिशत अथवा अधिकतम रू0 2000 जो भी कम हो।	चयनित जनपद के कृषक लाभार्थी	उ.स.कृ.प.अधि./उ. कृ. निदेशक
	ट्रेक्टर माउंटेड स्प्रेयर	निर्धारित मूल्य का 25 प्रतिशत अथवा अधिकतम रू0 4000 जो भी कम हो।	चयनित जनपद के कृषक लाभार्थी	उ.स.कृ.प.अधि./उ. कृ. निदेशक
	ऐरो ब्लास्ट स्प्रेयर	निर्धारित मूल्य का 25 प्रतिशत अथवा अधिकतम रू0 25000 जो भी कम हो।	चयनित जनपद के कृषक लाभार्थी	उ.स.कृ.प.अधि./उ. कृ. निदेशक
	रोटावेटर	निर्धारित मूल्य का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम रू0 30000 जो भी कम हो।	चयनित जनपद के कृषक लाभार्थी	उ.स.कृ.प.अधि./उ. कृ. निदेशक
	सीडड्रिल/ जीरोटिल सीडड्रिल/ मल्टी क्राफ्ट प्लांटर/ रिज फरो प्लांटर	निर्धारित मूल्य का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम रू0 15000 जो भी कम हो।	चयनित जनपद के कृषक लाभार्थी	उ.स.कृ.प.अधि./उ. कृ. निदेशक
	नैपसैक स्प्रेयर/ फुट स्प्रेयर/ पावर स्प्रेयर	निर्धारित मूल्य का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम रू0 3000 जो भी कम हो।	चयनित जनपद के कृषक लाभार्थी	उ.स.कृ.प.अधि./उ. कृ. निदेशक
	लेजर लैण्ड लेवलर	निर्धारित मूल्य का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम रू0 150000 जो भी कम हो।	चयनित जनपद के कृषक लाभार्थी	उ.स.कृ.प.अधि./उ. कृ. निदेशक
	पम्प सेट	निर्धारित मूल्य का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम रू0 10000 जो भी कम हो।	चयनित जनपद के कृषक लाभार्थी	उ.स.कृ.प.अधि./उ. कृ. निदेशक
	स्प्रिंकलर सेट	निर्धारित मूल्य का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम रू0 75000 जो भी कम हो। बुन्देलखण्ड क्षेत्र 90%	चयनित जनपद के कृषक लाभार्थी	उ.स.कृ.प.अधि./उ. कृ. निदेशक
	वर्मी कम्पोस्ट उत्पादन	लागत का 50 प्रतिशत अथवा रू0 5000 का अनुदान अधिकतम (अनंतिम)	चयनित जनपद के कृषक	